न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 10/2017/प्रार्थना–पत्र रिव्यु (भरण पोषण)

1. पोखरमल पुत्र भींवाराम, जाति बलाई, निवासी पुरोहित का बास, तहसील व जिला सीकर
2. बन्नाराम पुत्र भींवाराम, जाति बलाई, निवासी पुरोहित का बास, तहसील व जिला सीकर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भींवाराम पुत्र अर्जुनराम, जाति बलाई, निवासी पुरोहित का बास, तहसील व जिला सीकर

अप्रार्थी

उपस्थितः–
1. श्री दुर्गादत्त सूद एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री रजनीश खींचड़ एवं सुशीला कुमावत एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से।

प्रा. पत्र(रिव्यु) आदेश दिनांक 24.04.2017

निर्णय

सुनवाई दिनांकः दिनांकः, 21 नवम्बर, 2017

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि अप्रार्थी भींवाराम ने उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां भरण पोषण अधिनियम 2007 के अधीन दिनांक 19.07.2011 को आवेदन पेश किया था जिसका उपखण्ड अधिकारी सीकर ने रिकॉर्ड के बयानात सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर की रिपोर्ट पत्रांक 250 दिनांक 13.05.2011 का भी अवलोकन नहीं किया और निर्णय दिया कि रेस्पो. भींवाराम के चार पुत्र हैं, उनमें से 3 पुत्र रेस्पो. भींवाराम द्वारा लगातार परेशान करने के कारण छोड़कर परिवार सहित अन्यत्र रह रहे हैं। रेस्पो. भींवाराम सबसे बड़े पुत्र पोखरमल के साथ रह रहा है। रेस्पो. भींवाराम की पत्नी ने भी अपने बयानों में पोखर द्वारा ही बराबर खाना देना बताया है साथ ही भींवाराम को पेड़ नहीं काटने देने पर नाराज होकर शिकायत करना बताया है। इस प्रकार पत्नी व पुत्र जो गांव में रहते हैं उनके द्वारा रेस्पो. भींवाराम की देखभाल एवं रोटी, कपड़ा, दवाई देना साबित होता है। जिस पर भींवाराम द्वारा पुत्रों पर लगाये गये आरोप निराधार व असत्य होने से प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2012 खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात भींवाराम ने दिनांक 14.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.2012 को न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जिसमें प्रार्थी ने अपनी जमीन के 5 हिस्से किये जाकर एक हिस्सा पोखर राम का बताकर अंकित किया है कि उसे वह बोता है और वह अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ रह कर अपीलांट को भोजन, वस्त्र, आवास एवं दवाईयां उपलब्ध करवा रहा है। पोखर मल की पत्नी ने अपीलांट पोखर द्वारा अपने उसके बच्चों पर लगाये आरोपों को झुठा होना बयानों में अंकित किया है जिस पर अपीलांट पोखर मल की अपील न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 31.07.2014 को खारिज कर दी गई।

भींवाराम ने लोक अदालत कैम्प में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2015 को अपने पुत्र सतवीर के सम्बन्ध में शिकायत की थी जिसमें भरण पोषण सम्बन्धित कोई सन्दर्भ नहीं दिया था, लेकिन उपखण्ड अधिकारी सीकर ने बिना पत्र को पढ़े भींवाराम के पुत्रों को भरण–पोषण सम्बन्धी नोटिस जारी कर दिये और निर्णय में यह लिख दिया कि चारों पुत्रों द्वारा अपने वृद्व पिता को प्रतिमाह 2000–2000 रूपये भरण पोषण एवं दवाईयों आदि हेतु प्रदान करने पुत्रों द्वारा सहमति दी गई जिसे भींवाराम द्वारा स्वीकर कर लिया गया जबकि भींवाराम के पुत्रों ने कोई सहमति नहीं दी थी। यह निर्णय दिनांक 24.07.2015 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सीकर के उक्त आदेश के खिलाफ कार्यालय हाजा में अपील की गई। कार्यालय हाजा के निर्णय दिनांक 24.04.2017 को अपीलांटस् की अपील खारिज कर दी गई।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थना पत्र पुर्नवालोकन स्वीकार फरमाया जाकर अपील की पुनः सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.07.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री रजनीश खींचड़ एवं सुशीला कुमावत ने वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अप्रार्थी के पास 100 बीघा से भी अधिक कृषि भूमि है। जिस पर वह स्वयं खेती करवाता है, जिसमें अच्छी फसल होती है। अन्य व्यक्तियों को बुलाकर अनाज निकलवाते हैं और बोरियां भरकर अन्यत्र गांव में ले जाकर रखते हैं। अप्रार्थी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और मनमर्जी से बैंक से अनावश्यक रूप से ऋण ले लेते हैं जो बैंक के दबाव और कुर्की के भय से प्रार्थीगण को चुकाना पड़ता है। अप्रार्थी के कलह के कारण उनके तीन पुत्र घर छोड़कर अपने परिवार सहित दूसरे गांव में कृषि/मजदूरी करके गुजारा करते

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैं। अतः प्रार्थना पत्र पुर्नवालोकन स्वीकार कर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 24.04. 2017 निरस्त फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुशीला कुमावत ने अभिकथन किया कि अप्रार्थी वर्तमान में 100 साल से अधिक उम्र का है चलने फिरने में असमर्थ है। जबकि उसके चारों पुत्र मजदूरी करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं फिर भी आज दिनांक तक कोई पैसा अप्रार्थी को नहीं दिया है। अप्रार्थी की गंभीर स्थिति एवं मानसिक स्थिति के मध्य नजर अपील प्रार्थना पत्र पुर्नवलोकन निरस्त फरमाया जावे।

6. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के नाम 98 बीघा कृषि भूमि है जिसमें से 36 बीघा कृषि भूमि सिंचित हैं। जिस पर काश्त कर पुरा परिवार अपना खर्चा चला सकता है लेकिन फिर भी परिवार में सामंजस्य स्थापित नहीं है। अप्रार्थी की वर्तमान आयु लगभग 100 वर्ष है और वह जीवकोपार्जन के लिए सक्षम नहीं है। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 24.07.2015 में अंकित किया है कि '' भींवाराम उम्र 99 वर्ष पुत्र अर्जुनराम जाति बलाई निवासी पुरोहित का बास, सीकर का आवेदन भरण पोषण सम्बन्धी इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वे अपनी कृषि भूमि में 1/5 हिस्से की काश्त स्वयं करेंगें शेष 4/5 हिस्से की काश्त अपने चारों पुत्रों को करने देगें। अतः आदेशित किया जाता कि इनके प्रत्येक पुत्रगण पोखरमल, बन्नाराम, पालाराम, सत्यवीर 2000 /– रूपये प्रति माह प्रत्येक महीने की 1 तारीख को अपने पिताजी भींवाराम को भुगतान करेगें। भींवाराम अपना बैंक खाता खुलवाकर उसकी प्रति अपने पुत्रों को देगा।प्रत्येक पुत्र 2000/– रूपये प्रति माह बैंक खाते में जमा करवायेगें।'' उपखण्ड अधिकारी सीकर के उक्त आदेश के खिलाफ कार्यालय हाजा में अपील की गई। कार्यालय हाजा के निर्णय दिनांक 24.04.2017 को अपीलांटस् की अपील खारिज कर दी गई। प्रार्थी ने अपने पुर्नविचार याचिका में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः न्यायालय हाजा उपखण्ड अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 24.07.2015 एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2017 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। दोनों पक्षों को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.07.2015 की पालना करने के निर्देशों के साथ प्रार्थना पत्र पुर्नवलोकन खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक : 21 नवम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर